



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक  
WEEKLY

सं. 17] नई दिल्ली, जुलाई 7—जुलाई 13—2013/आषाढ़ 16—आषाढ़ 22, 1935  
No. 17] NEW DELHI, JULY 7—JULY 13—2013/ASADHA 16—ASADHA 22, 1935

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके  
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 4  
PART II—Section 4

रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश  
Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence

रक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, 8 जुलाई, 2013

का.नि.आ. 45.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और तटरक्षक आशुलिपिक श्रेणी 'क', 'ख', 'ग' और 'घ' पद भर्ती नियम, 1983 को उन बातों को सिवाए अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, रक्षा मंत्रालय, तटरक्षक में प्रधान निजी सचिव, निजी सचिव और निजी सहायक पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा मंत्रालय, तटरक्षक आशुलिपिक काडर, समूह 'क' और समूह 'ख' पद भर्ती नियम, 2013 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पदों संख्या, वर्गीकरण और वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन या वेतनमान.—उक्त पद संख्या, उसका वर्गीकरण और उनके वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन या वेतनमान वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) से स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अर्हताएं, आदि.—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से स्तम्भ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

## 4. निरर्हता.—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

## अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. प्रधान निजी सचिव	06* (2013) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, अनुसचिवीय	वेतन-बैंड-3, 15600— 39100 रु + ग्रेड वेतन 6600 रु.	चयन	लागू नहीं होता
सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं			सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं		परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(7)			(8)		(9)
लागू नहीं होता			लागू नहीं होता		दो वर्ष
भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता			प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा		
(10)			(11)		
साठ प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा और चालीस प्रतिशत प्रतिनियुक्ति द्वारा			प्रोन्नति: (i) तटरक्षक संगठन के ऐसे निजी सचिव जिनकी वेतन बैंड-2, वेतनमान 9300-34800 रु. + ग्रेड वेतन 4600 रु. श्रेणी में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् वहां सात वर्ष की नियमित सेवा है। जिसके न हो सकने पर		

(11)

**टिप्पण 2 :** प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति (आईएसटीसी) पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

**टिप्पण 3 :** प्रतिनियुक्ति या आमेसन के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 01 जनवरी 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा क्रो, सिवाए उस दशा के जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहां यह लाभ केवल उस पद (उन पदों) पर, जिनके लिए ग्रेड वेतन बिना किसी उन्नयन के साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है, विस्तारित होगा, वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना

भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा

(12)

(43)

समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :

प्रत्येक अवसर पर संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

1. अध्यक्ष या सदस्य, संघ लोक सेवा सेवा आयोग —अध्यक्ष
2. संयुक्त सचिव (नौसेना), रक्षा मंत्रालय —सदस्य
3. उप महानिदेशक, तटरक्षक मुख्यालय —सदस्य
4. निदेशक (कार्मिक), तटरक्षक मुख्यालय —सदस्य

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. निजी सचिव	05* (2013) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', राजपत्रित, अनुसचिवीय	वेतन-बैंड-2, 9300— 34800 रु. + ग्रेड वेतन 4600 रु.	चयन	लागू नहीं होता
(7)		(8)		(9)	
लागू नहीं होता		लागू नहीं होता		लागू नहीं होता	

(10)

(11)

प्रोन्नति द्वारा

**प्रोन्नति :** तटरक्षक संगठन के ऐसे निजी सहायक जिनकी वेतन बैंड-2, वेतनमान 9300-34800 रु. + ग्रेड वेतन 4200 रु. की श्रेणी में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् पांच वर्ष की नियमित सेवा है तथा सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबंध संस्थान से निम्नलिखित प्रशिक्षण कार्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा किए हैं।

(11)

(i) वृत्तिक विकास की तीन सप्ताह की कार्यशाला

(ii) पुरुष या स्त्री विषय में एक सप्ताह का प्रशिक्षण ।

**टिप्पण 1 :** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो ।

**टिप्पण 2 :** प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 01 जनवरी, 2006 से पहले (उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है), नियमित आधार पर की गई सेवा को वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी।

(12)

(13)

समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :—

संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

- |                                          |          |
|------------------------------------------|----------|
| 1. संयुक्त सचिव (नौसेना), रक्षा मंत्रालय | —अध्यक्ष |
| 2. उप महानिदेशक, तटरक्षक मुख्यालय        | —सदस्य   |
| 3. निदेशक (प्रशासन), तटरक्षक मुख्यालय    | —सदस्य   |
| 4. निदेशक (कार्मिक), तटरक्षक मुख्यालय    | —सदस्य   |

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3. निजी सहायक	67* (2013)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख',	वेतन-बैंड-2,	चयन	लागू नहीं होता
	*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	अराजपत्रित, अनुसचिवीय	9300— 34800 रु. + ग्रेड वेतन 4200 रु.		

(7)	(8)	(9)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	दो वर्ष

2868 GI 113-2

(10)

66.67 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा और 33.33 प्रतिशत सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा

(11)

**प्रोन्नति:** तटरक्षक संगठन के ऐसे आशुलिपिक जिनकी वेतन बैंड-1, वेतनमान 5200-20200 रु. + ग्रेड वेतन 2400 रु. श्रेणी में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् दस वर्ष की नियमित सेवा है तथा सचिवालय प्रशिक्षण तथा प्रबंध संस्थान से निजी सहायक के लिए दो सप्ताह का पुनश्चर्या पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा किए हैं।

**टिप्पण 1 :** इन नियमों की अधिसूचना की तारीख को पोषक प्रवर्ग में नियमित आधार पर आशुलिपिक (पूर्ववर्ती आशुलिपिक श्रेणी (घ) पद धारण किए हुए व्यक्तियों के लिए निजी सहायक के पद पर प्रोन्नति के लिए पात्रता सेवा पांच वर्ष की बनी रहेगी।

**सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से चयन :** तटरक्षक संगठन के ऐसे आशुलिपिक जिनकी वेतन बैंड-1, वेतनमान 5200-20200 रु. + ग्रेड वेतन 2400 रु. श्रेणी में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् न्यूनतम तीन वर्ष की नियमित सेवा है तथा निम्नलिखित अर्हताएं रखते हैं :-

(i) कौशल परीक्षण मानक

श्रुतलेख : सौ शब्द प्रति मिनट की दर से दस मिनट

प्रतिलेखन : पचास मिनट (अंग्रेजी), पैंसठ मिनट (हिंदी) (कंप्यूटर पर)

(ii) परीक्षा के लिए अधिकतम आयु-सीमा 50 वर्ष होगी (अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए 55 वर्ष)

**टिप्पण 2 :** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा, परंतु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिबीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

**टिप्पण 3 :** प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 01 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन/वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी।

**प्रतिनियुक्ति :** केन्द्रीय सरकार के अधीन ऐसे अधिकारी-

(क)(i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या

(ii) जिनकी वेतन बैंड-1, वेतनमान 5200-20200 रु. + ग्रेड वेतन 2400 रु. श्रेणी में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् दस वर्ष की नियमित सेवा है; या

(ख) निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और कौशल रखते हैं :

(i) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड या संस्थान से 12वीं उत्तीर्ण; और

(11)

(ii) कौशल परीक्षा मानक :

श्रुतलेख : सौ शब्द प्रति मिनट की दर से दस मिनट

प्रतिलेखन: पचास मिनट (अंग्रेजी), पैसठ मिनट (हिंदी) (कंप्यूटर पर)

टिप्पण 1 : पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

टिप्पण 2 : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति (आईएसटीसी) पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 3 : प्रतिनियुक्ति या आमेलन के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 01 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाए उस दशा के जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहां यह लाभ केवल उस पद (उन पदों) पर, जिनके लिए ग्रेड वेतन बिना किसी उन्नयन के साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है, विस्तारित होगा, वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी।

(12)

समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति प्रोन्नति के संबंध में विचारों के लिए निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :-

1. निदेशक (कार्मिक), तटरक्षक मुख्यालय —अध्यक्ष
2. ज्येष्ठ सिविलियन स्टाफ आफिसर —सदस्य
3. सिविलियन स्टाफ आफिसर —सदस्य

(13)

संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

[फा. सं. सीपी/0601/आशुलिपिक काडर/955/डी (सीजी)/2013]

पी. प्रवीण सिद्धार्थ, उप सचिव

MINISTRY OF DEFENCE

New Delhi, the 8th July, 2013

S. R. O. 45.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Coast Guard Stenographers Grades 'A', 'B', 'C' & 'D' Recruitment Rules, 1983 except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Principal Private Secretary, Private Secretary and Personal Assistant in Coast Guard Organization, Ministry of Defence, namely:—

**1. Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Ministry of Defence, Coast Guard Stenographers Cadre, Group 'A' & 'B' posts Recruitment Rules, 2013.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

**2. Application.**—These rules shall apply to the posts specified in column (1) of the Schedule annexed to these rules.

**3. Number of posts, classification and pay band and grade pay.**—The number of the said posts, their classification and the pay band and grade pay/pay scale attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

**4. Method of recruitment, age limit, and qualification, etc.**—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be specified in columns (5) to (13) of the Schedule.

**5. Disqualification.**—No person,

(a) Who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) Who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to any of the said Posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for doing so, exempt any person from the operation of this rule.

**6. Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order, and for reasons to be recorded in writing in consultation with Union Public Service Commission to relax any of the provisions of these rules with respect of any class or category of persons.

**7. Saving.**—Nothing in these rules shall effect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

#### SCHEDULE

Name of post	Number of posts	Classification	Pay Band and Grade Pay/Pay Scale	Whether selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Principal Private Secretary	06* (2013) *Subject to variation dependent on workload	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Ministerial.	Pay Band-3, Rs. 15600— 39100 plus Grade pay Rs. 6600	Selection	Not applicable

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotess	Period of probation, if any
(7)	(8)	(9)
Not applicable	Not applicable	Two years

Method of recruitment : Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or by absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption grades from which promotion or deputation or absorption to be made

(10)

60% by promotion failing which by deputation and 40% by deputation.

(11)

**Promotion :**

(i) Private Secretaries of Coast Guard Organisation in the scale of pay of Rs. 9300-34800+ Grade Pay of Rs. 4600 in Pay Band-2 with seven years regular service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis.

Failing which

(ii) Private Secretaries of Coast Guard in the scale of pay of Rs. 9300-34800 with Grade Pay of Rs. 4600 in Pay Band-2 with combined regular service of twelve years as Private Secretary and Personal Assistant (in Pay Band-2 Rs. 9300-34800 with Grade Pay of Rs. 4200) out of which at least four years regular service should be as Private Secretary.

**Note 1 :** Where Juniors who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered for promotion provided they are not short of the requisite qualifying/eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service, or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying/eligibility service.

**Note 2 :** For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January 2006 (the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended) shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay/pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission.

Deputation: Officers of Stenographer cadre under the Central Govt. :-

(i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre/department; or

(ii) with five years regular service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in the scale of pay of Rs. 15600-39100 with grade pay of Rs. 5400 in Pay Band-3 or equivalent in the parent cadre/department; or

(iii) with six years regular service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in the scale of pay of Rs. 9300-34800 with grade pay of Rs. 4800 in PB-2 or equivalent in the parent cadre/department; or

(iv) with seven years regular service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in the Pay Band-2 of Rs. 9300-34800 with grade pay of Rs. 4600.



(11)

**Deputation**

**Note 1 :** The departmental Officers in the feeder grade who are in direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

**Note 2 :** Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization/ Department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation (ISTC) shall be not exceeding fifty six years as on the closing date of receipt of applications.

**Note 3 :** For purposes of appointment on deputation/ absorption basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 (the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended) shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay/pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay/pay scale, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay/pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition

Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.

(12)

(13)

**Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :**

Consultation with Union Public Service Commission necessary on each occasion.

1. Chairman/Member, Union Public Service Commission —Chairman
2. Joint Secretary (Navy), Ministry of Defence —Member
3. Deputy Director General, Coast Guard —Member
4. Director (Personnel), CGHQ —Member

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. Private Secretary	05*(2013) *Subject to variation dependent on workload	General Central Service, Group 'B' Gazetted, Ministerial.	Pay Band-2, Rs. 9300— 34800 plus Grade pay Rs. 4600	Selection	Not Applicable

(7)	(8)	(9)			
Not applicable	Not applicable	Not applicable			
(10)	(11)				
By promotion	<p><b>Promotion :</b></p> <p>Personal Assistant of Coast Guard Organization in the scale of pay of Rs. 9300-34800 + Grade Pay of Rs. 4200 in Pay Band-2 with five years regular service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis who have successfully completed the following training program from ISTM:-</p> <p>(i) 3 weeks professional development workshop.</p> <p>(ii) 1 week training in gender issue.</p> <p><b>Note 1 :</b> Where juniors who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered for promotion provided they are not short of the requisite qualifying/eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service, or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying/eligibility service.</p> <p><b>Note 2 :</b> For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January 2006 (the date from which the revised pay structure based on the 6th Central Pay Commission recommendations has been extended) shall be deemed to be service rendered in the corresponding pay/pay scale extended based on the recommendations of the Commission.</p>				
(12)	(13)				
Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :	Consultation with Union Public Service Commission not necessary.				
1. Joint Secretary (Navy), Min. of Defence	—Chairman				
2. Deputy Director General, CGHQ	—Member				
3. Director (Administration) CGHQ	—Member				
4. Director (Personnel), CGHQ	—Member				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3. Personal Assistant	67* (2013) *Subject to variation depending on workload	General Central Service, Group 'B' Non-Gazetted, Ministerial.	Pay Band-2, Rs. 9300—34800 plus Grade pay Rs. 4200	Selection	Not applicable

(7)	(8)	(9)
Not applicable	Not applicable	Two years
(10)	(11)	
66.67% by promotion and 33.33% by promotion through Limited Departmental Competitive Examination failing which by deputation	<p><b>Promotion :</b> Stenographers of Coast Guard Organization in the scale of pay of Rs. 5200-20200 + Grade Pay of Rs. 2400 in Pay Band-1 with ten years regular service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis who have successfully completed the 02 week refresher course for PA from ISTM.</p> <p><b>Note 1 :</b> The eligibility service for promotion to the post of Personal Assistant shall continue to be five years for persons holding the feeder posts of Stenographer (erstwhile Stenographer grade 'D') on regular basis on the date of notification of these rules.</p> <p><b>Selection through Limited Departmental Examination:</b> Stenographers of Coast Guard Organisation in the scale of pay of Rs. 5200-20200 with grade pay Rs. 2400 in Pay Band-1 with minimum three years regular service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis who possess the followings:—</p> <p>(i) Skill Test Norms: Dictation: 10 minutes @ 100 w.p.m Transcription: 50 minutes (English) 65 minutes (Hindi)(On computer).</p> <p>(ii) Maximum age-limit for this examination shall be fifty years (55 years for Scheduled Castes and Scheduled Tribes candidates)</p> <p><b>Note 1 :</b> Where juniors who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered for promotion provided they are not short of the requisite qualifying/eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service, or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying/eligibility service.</p> <p><b>Note 2 :</b> For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1-1-2006 ( the date from which the revised pay structure based on the 6th Central Pay Commission recommendations has been extended) shall be deemed to be service rendered in the corresponding pay/pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission.</p> <p><b>Deputation : Officers under the Central Government :</b></p> <p>(a) (i) holding analogous post on regular basis; or</p> <p>(ii) with ten years regular service in the scale of pay of Rs. 5200-20200 with grade pay of Rs. 2400 in pay band-1 or equivalent after appointment thereto on regular basis : and</p>	

(11)

(b) Possessing the following educational qualification and skill:

(i) 12th pass from a recognized Board or Institute; and

(ii) Skill Test Norms:

Dictation: 10 minutes @ 100 w.p.m

Transcription: 50 minutes (English)

65 minutes (Hindi) (On computer)

**Note 1:** The departmental Officers in the feeder grade who are in direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

**Note 2 :** The period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organization/ Department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation (ISTC) shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.

**Note 3 :** For purposes of appointment on deputation/ absorption basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January 2006 (the date from which the revised pay structure based on the 6th Central Pay Commission recommendations has been extended) shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay/pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay/pay scale, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay/pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.

(12)

(13)

**Group 'B' Departmental Promotion Committee for considering promotion consisting of :**

- |                                        |           |
|----------------------------------------|-----------|
| 1. Director (Personnel), CGHQ          | —Chairman |
| 2. Senior Civilian Staff Officer, CGHQ | —Member   |
| 3. Civilian Staff Officer, CGHQ        | —Member   |

Consultation with Union Public Service Commission not necessary.

[F. No. CP/0601/Steno Cadre/955/D(CG)/2013]

P. PRAVEEN SIDDHARTH, Dy. Secy.

नई दिल्ली, 4 जुलाई, 2013

का.नि.आ. 46.—राष्ट्रीय कैडेट कोर अधिनियम, 1948 (1948 का 31) की धारा 12 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्वारा इस अधिसूचना के सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से निम्नलिखित व्यक्तियों को केन्द्रीय सलाहकार समिति के गैर-सरकारी सदस्य के रूप में नियुक्त करती है तथा भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय के का.नि.आ. 76(ई), दिनांक 10 अक्टूबर, 1983 की अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन करती है; अर्थात् :—

2868 G5113-4